न्यायालय माननीय राजस्व मंडल भोपाल बेंच

प्र.क्र..... / निगरानी / 17

R-804-PBR-17

मो. इशा आ. मो. अब्दूल माजिद
निवासी करमई, तह.गौहरगंज, जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
तह. गौहरगंज, जिला रायसेन .....अनावेदक

निगरानी भू – राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत

महोदय,

विन्रम निवेदन है कि आवेदक द्वारा ग्राम करमई स्थित भूमि खसरा क्र. 56, 53, 66, 75/1, 82 एवं 85 कुल किता 6 रकबा 29.18 एकड़ में खसरा क्र. 56 रकबा 1.38 एकड़ भूमि आयुक्त भोपाल संभाग के अपील प्रकरण क्र. 164 वर्ष 9–10 में पारित आदेश दिनॉक 18/08/2010 के परिपालन में कलेक्टर न्यायालय रायसेन ने अपने प्र.क्र. 22/अ–21/कलेक्टर/वर्ष 7–8 में पारित आदेश दिनॉक 20/01/2011 के अनुसार विधिवत अनुमति प्राप्त कर क्रय की गई थी, जिसका विधिवत संशोधन पंजी क्र. 1 आदेश दिनॉक 03/03/11 को नामान्तरण किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के प्रकरण क्र. 157/अ–2/11–12 आदेश दिनॉक 19/09/12 से विधिवत अकृषि कार्य हेतु भूमि व्यपवर्तन कराया गया एवं मुर्गी पालन केन्द्र खोला गया।

यह कि उपरोक्तानुसार वैधानिक कार्य के पश्चात दिनॉक 10/11/16 को बगैर आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये यह भूमि अभ्यारण क्षेत्र में स्थित होने का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम अभिलेख से निरस्त कर पूर्ववत विक्रेता के नाम दर्ज करने का पुनरविलोकन की अनुमति प्राप्त कर आदेश पारित कर दिया गया है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज ने पुर्नविलोकन अनुमति देने के पूर्व वैधानिक स्थिति का न तो ध्यान रखा और न ही हितबद्ध पक्षकार को सुना गया इस प्रकार आयुक्त/कलेक्टर की अनुमति के पश्चात क्रय की गई भूमि के नामान्तरण उपरान्त विधिवत व्यपवर्तन की अनुमति ली गई, इसके बाद अचानक अवैधानिक रूप से आवेदक का नाम अभिलेख से काटकर विक्रेता का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। चूँकी आवेदक को बगैर सुने आदेश पारित किया गया, इसलिए जानकारी प्राप्त होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि 17/01/17 को प्राप्त कर जानकारी के आधार पर समयावधि में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 804/पीबीआर/2017 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-11-2018	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	